

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./ 448 दिनांक 11.2.21

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 2.8874 ha of forest land in favour of POWERGRID
FATEHGARH TRANSMISSION LIMITED for Construction of
765 KV D/C Fatehgarh II to Bhadla II Transmission line, Distt.
Jodhpur, Raj. (Proposal no. FP/RJ/TRANS/44981/2020)

संदर्भ:—आपका पत्रांक प. 1(1)वन/2020 दिनांक 25.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 643 दिनांक 05.02.2021 से वांछित सूचना प्राप्त हुई है। प्रकरण में वांछित विभिन्न विभागों की NOC के संबंध में सूचित किया कि:—

1. NHAI की NOC हेतु यूजर एजेन्सी ने आवेदन कर दिया है एवं Stage-I की पालना के समय NOC प्रस्तुत की जायेगी वचनबद्धता संलग्न हैं।
2. CANAL विभाग की NOC संलग्न हैं।
3. अन्य विभाग, यथा PWD, Urban, Local body से NOC की आवश्यकता नहीं है क्यों यह इस प्रस्ताव से संबन्धित नहीं है।

अतः उक्तानुसार प्राप्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./

दिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
3. उप मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, 115 नंदपुरी कॉलोनी, नागौर रोड़ फलौदी, जोधपुर।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर